File No. 4-39/2016-HPU (Acad.)-Misc
Himachal Pradesh University,
(NAAC Accredited 'A' Grade University)
'Academic Branch'

MOST URGENT
&
TIME BOUND

Dated: -
08 AUG 2025

To

All the Principals of Govt./Non-Govt. Private Colleges,
affiliated with H.P. University, Shimla-5.

Subject: **Regarding compliance/action taken report on " नशा निवारण पर चर्चा " as per decision taken by University Court meeting held on 06.03.2025.**

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of decision of the University Court meeting held on 06.03.2025 as Supplementary Item No. 1 on the subject cited above.

You are therefore, requested to take necessary steps/action as directed by the H.P. University Court on this matter and action taken report may kindly be provide to the undersigned within one week so that the quarter concerned may be apprised accordingly.

Yours faithfully,

Encls: - as above

Registrar,
H.P. University, Shimla-5
Dated:

Endst No. Even.
Copy for information to: -

1. The SPS to Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor & Registrar, H.P. University, Shimla-5 for information.
2. The Assistant Registrar, General Administrative Section, H.P. University Shimla-5.

Registrar,

अनुपूरक मदें

मद सं0-1: नशा निवारण पर चर्चा।

.....

माननीय कुलाधिपति महोदय ने नशा निवारण पर चर्चा हेतु उपस्थित सभी सदस्यों को अपने विचार रखने एवम् सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया जिस पर निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अपने विचार एवम् सुझाव रखे:-

माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया ने मद पर चर्चा करते हुए यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों के प्राधानाचार्यों की एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जोकि नशा मुक्ति हेतु जागरूकतापूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा दे।

माननीय सदस्या डॉ. सीता ठाकुर जी ने कोर्ट सदस्यों के समक्ष नशाग्रस्त व्यक्तियों के कुछ लक्षण सांझा किया तथा सुझाव दिया कि महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के समय विद्यार्थी व उनके अविभावकों का नशा निवारण हेतु जागरूक किया जाना चाहिए तथा महाविद्यालयों में प्रवेश के समय शपथ-पत्र भी लिया जाना चाहिए।

माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी ने भी इस कड़ी में अपना सुझाव देते हुए कहा कि नशा मुक्ति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और स्कूलों में नशाग्रस्त विद्यार्थियों का पता लगाने हेतु Urine Test को आवश्यक किया जाना चाहिए ताकि ऐसे नशाग्रस्त विद्यार्थियों का प्रारम्भ में ही पता लगाया जा सके तथा उनका चिकित्सा उपचार समय रहते किया जा सके व उनको नशे से मुक्ति दिलाई जा सके।

नशा मुक्ति के सम्बन्ध में माननीय प्रति कुलपति महोदय ने सदस्यों को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पहले से ही नशा मुक्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है तथा अनुशासन समितियां (Diciplinary Committees) गठित की गई हैं। माननीय प्रति कुलपति

महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में बने अवैध ढाबों पर अनुशासनात्मक/ कानूनी कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया है।

शिक्षा निदेशक के नामिति सदस्य डॉ. विद्या सागर शर्मा, संयुक्त निदेशक ने कोर्ट सदस्यों के संज्ञान में लाया कि इस संदर्भ में निदेशालय द्वारा अपने स्तर पर प्रदेश के सभी जिलों के उप-निदेशकों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों की NSS, NCC, Scouts, Sports और Cultural activities में भागीदारी को बढाने पर बल दिया जाता है ।

माननीय सदस्य आचार्य देशराज ठाकुर जी ने कोर्ट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया कि नशा निवारण हेतु स्थानीय लोगों की सहभागिता का होना भी अत्यन्त आवश्यक है और साथ ही साथ उन्होंने भी विद्यार्थियों की खेलकूद इत्यादि गतिविधियों में सहभागिता को प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया।

इसी कड़ी में माननीय कुलपति महोदय द्वारा नशा मुक्ति अभियान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत् प्रत्येक प्राध्यापक/अध्यापक को अपने संरक्षण में लगभग 15 विद्यार्थियों को नशा मुक्ति हेतु प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव दिया।